

तारीख हुकम

अधिकारता को दिखाई गई। प्रार्थना पत्र के
जवाब व कहल हेतु पत्रावली दि. 07/08/19
को पेश हो

08/07/19

पत्रावली पेश हुई। वकलात उप.
अनुपस्थित। पाठक अधिकारी
को पत्र अलग तौर पर वास्ता।
पत्रावली पूर्व आ. अ. आ. आई. आ.
दिनांक-05/09/19 को पेश हो।

05/09/19

पत्रावली पेश हुई। वकलात उप.
अनुपस्थित। पाठक अधिकारी
को पत्र अलग तौर पर वास्ता।
पत्रावली पूर्व आ. अ. आ. आई. आ.
दिनांक-06/09/19 को पेश हो।

27/09/19

पत्रावली पेश हुई। वकलात उप.
अनुपस्थित। पाठक अधिकारी
को पत्र अलग तौर पर वास्ता।
पत्रावली पूर्व आ. अ. आ. आई. आ.
दिनांक-11/10/19 को पेश हो।

11/10/19

पत्रावली पेश हुई। वकलात उप.
अनुपस्थित। पाठक अधिकारी
को पत्र अलग तौर पर वास्ता।
पत्रावली पूर्व आ. अ. आ. आई. आ.
दिनांक-11/10/19 को पेश हो।

25/10/19

वास्ते आदेश गिसल आज पेश हुई। उक्त में
वकलात उप.
अनुपस्थित। पाठक अधिकारी
को पत्र अलग तौर पर वास्ता।
पत्रावली पूर्व आ. अ. आ. आई. आ.
दिनांक-11/10/19 को पेश हो।

उपरोक्त फा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए
 ज.पत्र खरीफा का टी. अदि. पुनः नम्बर
 पर लिया जाने का निर्देश किया। वकील
 जबाब की वदल के जवाब में वकील सजदी
 ने जवाब ज.पत्र दिनांक 19/7/19 में अंकित
 तथ्यों को दोहराते हुए ज.पत्र खरीज
 फामाया जाने का निर्देश किया।

पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध एजेंस
 रिकॉर्ड, पेशशुदा ज.पत्र, जवाब ज.पत्र
 का अवलोकन किया गया एवं चक्रवाच
 उभयपक्ष की वदल पर सगौर अन्त किया गया।
 चूंकि किसी प्रकार के अदम हाजिरी एवं अदम पैदा
 में खरीज होने पर जबाब द्वारा विधितः वाजदायी
 ज.पत्र अस्तुत करने पर पक्षकारों को सुनवाई
 का अवसर उद्घन किये जाने के उपरांत ही
 प्रकार को पुनः सुनवाई हेतु नम्बर पर लिया
 जा सकता है। चूंकि ज.पत्र दिनांकित 19/7/19
 वाजदायी की श्रेणी में नहीं आता है। अतः ज.
 पत्र दिनांकित 19/07/19 खरीज किया जाता
 है। पत्रावली फेसल शमात होकर नम्बर से
 नम्बर से नम्बर नम्बर पुनः फेसल रिकॉर्ड
 में शामिल हो। निर्णय खुले न्यायालय में
 सुनाया गया।

Dr

सहायक कलक्टर
 (फारट ट्रेक) खण्डेला